न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 162 / 2018 दायरा दिनांक : 12.09.2018

उनवान

1— रामजानकी बेवा घासीलाल पुत्री सांवला, जाति कुम्हार, निवासी हिंगोनियां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0

2— दाखां बाई पुत्री सांवला पत्नी कल्याण, जाति कुम्हार, निवासी हिंगोनियां, हाल मुकाम बिजोरा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1— गोरधनीबाई पुत्री नाथ्या पत्नी छीतरलाल, जाति कुम्हार, निवासी हिंगोनियां रोड़ बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— शांन्तिबाई पुत्री नाथ्या पत्नी भैरूलाल, जाति कुम्हार, निवासी मांगरोल

3— द्वारक्याबाई पुत्री नाथ्या पत्नी नाथूलाल, जाति कुम्हार, निवासी खेडी श्यामपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

4— सूनीबाई पुत्री नाथ्या पत्नी बाबूलाल, जाति कुम्हार, निवासी पीपल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज0

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री मो0 रफीक कुरैशी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.08.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 82/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हिंगोनिया, तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी खसरा नम्बर 406 रकबा 0.45 हेक्टर स्थित है । वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 के खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी का साबिक खसरा नम्बर 214 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा बाद सैटलमेंट हाल खसरा नम्बर 406 रकबा 0.45 हेक्टर कायम किये गये । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंटगण की माता नाथी बेवा नाथ्या का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। ग्राम हिंगोनिया के खसरा नं. 214 रकबा 24 बीघा 7 बिस्वा आराजी वादीगण अपीलांट के पिता सांवला पुत्र पन्ना व धूलीलाल पुत्र कल्याण, पन्नालाल पुत्र भैरूलाल, जाति नाई, निवासी हिंगोनिया को कीमतन आवंटन की गई थी जिसके सम्बन्ध में तहसील उपनिवेशन मांगरोल के द्वारा दिनांक 19.12.1967 को रसीद संख्या 000008 द्वारा 725 रूपये जैर चौथान विक्रय आराजी की राशि जमा करवायी गई है । जमाबंदी संवत 2029–2032 में खसरा नम्बर 214 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आराजी पर वादीगण के पिता सांवला पुत्र पन्ना कुम्हार का कब्जा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

बदस्तूर चले आना बतलाया गया है । ग्राम हिंगोनिया की साबिक खसरा नं. 214 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से उक्त आराजियात पर करीबन 60 वर्षों से वादीगण के पिता एवं वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही होने के कारण नाथी बेवा नाथ्या जाति कुम्हार को अवैधानिक रूप से किये गये आवंटन को वादीगण नल एण्ड वोईड घोषित एवं विवादित आराजियात को वादीगण राजस्व रेकार्ड में अपने खातेदारी में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है । अतः निवेदन है कि ग्राम हिंगोनिया की साबिक खसरा नं. 214 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा का प्रतिवादीगण की माता नाथी बेवा नाथ्या के पक्ष में किये गये आवंटन को नल एण्ड वोईड घोषित किया जावे। हाल खसरा नम्बर 406 रकबा 0.45 हेक्टर का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि खसरा नम्बर 406 रकबा 0.45 हेक्टर भूमि पर वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । खसरा गिरदावरी संवत 2025–2028 ग्राम हिंगोनिया तहसील मांगरोल संवत 2029–2032 में खसरा नम्बर 214 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादीगण के पिता सांवला पुत्र पन्ना कुम्हार, जाति कुम्हार निवासी हिंगोनिया का कब्जा बदस्तूर चले आना वादीगण अपीलांट द्वारा बताया गया है जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर न कर वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर कतई अवलोकन नहीं किया है । वादीगण अपीलांट ने अपने समर्थन में अपने स्वयं के बयान करवाये हैं जिसका

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट ने कोई खण्डन नहीं किया है । अपनी साक्ष्य समर्थन में वादीगण अपीलांट द्वारा गवाहान कल्याण पुत्र रघुनाथ कुम्हार एवं राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शम्भू दयाल को न्यायालय में प्रस्तत किया है जिसकी साक्ष्य का विचारण न्यायालय द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया है । अपीलांट वादीगण ने अपने वाद को पूरी तरह से साक्ष्य से प्रमाणित किया है जिसे प्रमाणित न मानकर वाद खारिज करने में भूल की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.06.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । रामजानकी बेवा घासीलाल पुत्री सांवला, जाति कुम्हार व दाखांबाई पुत्री सांवला पत्नी कल्याण जाति कुम्हार, निवासी हिंगोनिया द्वारा रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 की ग्राम हिंगोनिया मे स्थित आराजी खसरा नं. 406 रकबा 0.45 हेक्टर पर कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने हेतु कथन किया है । वर्तमान जमाबंदी अनुसार उक्त आराजी ग्राम हिंगोनिया में स्थित

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

आराजी खसरा नम्बर 406 रकबा 0.45 हेक्टर के रेकार्डेड खातेदार रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 हैं । वादीगण के वादपत्र में एडवर्स पजेशन के आधार पर अपीलांट को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। परमसुख बनाम स्टेट 1978 आर आर डी पेज 482 – केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है ।, रामसिंह बनाम पतिराम 1996 आर आर डी 389 पेज 391 – किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है ।, राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल 1988 आर आर डी पेज 78 – केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन प्रतीत होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/8/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रेकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– रामजानकी बेवा घासीलाल पुत्री सांवला, जाति कुम्हार, निवासी हिंगोनियां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0
2– दाखां बाई पुत्री सांवला पत्नी कल्याण, जाति कुम्हार, निवासी हिंगोनियां, हाल मुकाम बिजोरा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज0

..........अपीलान्ट्स

बनाम

1– गोरधनीबाई पुत्री नाथ्या पत्नी छीतरलाल, जाति कुम्हार, निवासी हिंगोनियां रोड बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2– शांन्तिबाई पुत्री नाथ्या पत्नी भैरूलाल, जाति कुम्हार, निवासी मांगरोल
3– द्वारक्याबाई पुत्री नाथ्या पत्नी नाथूलाल, जाति कुम्हार, निवासी खेड़ी श्यामपुरा, तहसील बारां, जिला बारां
4– सूनीबाई पुत्री नाथ्या पत्नी बाबूलाल, जाति कुम्हार, निवासी पीपल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज0
5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 162 / 2018 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल
मु.द.नं0 82 / 2014 निर्णय व डिक्री दिनांक – 22.06.2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 03 माह 08 सन् 2022

हाजरी **श्री मो0 रफीक कुरैशी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 24 माह 08 सन् 2022 को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)